सापना पत्रांक- 046
दिनांक- 16/02/16 से स्वलोक से।

पत्रांक-175
दिनांक-19/03/16

अनुसूची 21– प्रपत्र संख्या – 1131

संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण–पत्र . सं० सचिव महात्मा गाँधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आवेदन सं० 175/17/02/16

चूंकि श्री मुक्ति निकेतन, कटोरिया, बांका ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध के निबन्धित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय, बांका

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें) सचिव म०गां० शि० प्र० महाविद्यालय मुक्ति निकेतन, कटोरिया (बांका)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अबभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से ता० 01-01-2002 19 से ता० 17-02-2016 19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चला है :–

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दास्तावेज की प्रविष्टि के प्रति विदेन		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मौजा कटोरिया थाना नं०-120 अंचल – कटोरिया जिला – बांका	खाता 234	खेसरा 424 424	रकबा 0–50 0–50 1–50 कुल रकबा 2–00 डी (दो एकड़ डीसमल मात्र)				

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक–पत्र की दशा में व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते कि इनके बारे में ... हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अबधि और बार्षिक लगान दर्ज करें।

मुक्ति निकेतन स्था-1985 कटोरिया

PRINCIPAL
M.G.S.P. MAHAVIDYALAYA
MUKTI NIKETAN, KATORIA, BANKA

Secretary
Mahatma Gandhi
Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya
Mukti Niketan, Katoria (Banka)

Scanned by CamScanner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अबभारों को छोड़, उक्त सम्पति को प्रभावित करने वाले किलो अन्य सव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण–पत्र तयार किया :–

(हस्ताक्षर) :– सोहन प्रसाद

(पदनाम) :– लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) :– Rivan Rin

(पदनाम) :– L.D.C

कार्यालय बांका

तारीख 19/03/16

मुहर।

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
19/03/16

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखायें गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गयें विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को नियमित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

(1) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिदिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की हैं, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दुंढें गये संव्यवहारों और अबभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढें गये एसे संव्यवहारों और अबभारो को छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

PRINCIPAL
M.G.S.P. ... MAHAVIDYALAYA
MUKTI NAGAR, ... BANKA

मुक्ति निकेतन ... स्था-1985

Secretary

Scanned by CamScanner